संख्या-03/2016-47 /नौ-5-16-169बजट/2014

प्रेषक,

रंग बहादुर सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम,
लखनऊ ।

नगर विकास अनुभाग- 5 लखनऊ दिनांक 8 जनवरी, 2016

विषय: वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर निगम फिरोजाबाद के लिये पेयजल पुनर्गठन योजना के लिए तृतीय किश्त की धनराशि अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक जिलाधिकारी, फिरोजाबाद के पत्र सं0-37/एसटीपी, दिनांक 12.12.2015 के संदर्भ में शासनादेश सं0-224/नौ-5-2015-169/2014 दिनांक 21.01.2015 तथा शासनादेश सं0-216/2015-3688/नौ-5-2015-169/2014 दिनांक 30.06.2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-2016 में नगर निगम फिरोजाबाद के लिये पेयजल पुनर्गठन योजना सम्बन्धी कार्यो की निर्धारित लागत रू0 43281.56 लाख के सापेक्ष तृतीय किश्त के रूप में रू0 7500.00 लाख (रू0 पचहत्तर करोड़ मात्र) को अवमुक्त किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) शासनादेश सं0-224/नौ-5-2015-169/2014 दिनांक 21.01.2015 तथा शासनादेश सं0-216/2015-3688/नौ-5-2015-169/2014 दिनांक 30.06.2015 द्वारा निर्धारित शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(2) प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(3) प्रायोजनान्तर्गत वाटर मीटर, लीक डिटेक्शन डिवाइस एवं स्केडा सिस्टम के क्रय एवं स्थापना का प्रस्ताव है । अतः क्रियान्वयन से पूर्व इस प्रकार के कार्यो हेतु निर्माताओ से प्रतिस्पर्धा के आधार पर दरे प्राप्त की जाय एवं सामग्री का क्रय एवं स्थापना सुसंगत वित्तीय नियमों के आधार पर की जाय।

(4) कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व आवश्यक वैधानिक अनापतियों एवं पर्यावरणीय क्लियरेन्स प्राप्त किया जाय।

(5) प्रायोजनान्तर्गत कोई उल्लखनीय परिवर्तन जैसे नये कार्य बढाना, कार्यो के आकार में वृद्वि एवं अन्य उच्च विशिष्टियों इस्तेमाल करने इत्यादि का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जायेगा। इसके अतिरिक्त अनुमोदित कार्यो की तकनीकी स्वीकृति निर्गत करने के पूर्व विस्तृत डिजाइन/ड्राइंग बनाते समय प्रायोजना लागत में यदि 10 प्रतिशत से अधिक परिवर्तन होता है तो इस स्थिति में पुनीरीक्षित प्रायोजना पर 3 माह के अन्दर पुनः अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा, अन्यथा बाद में पुनरीक्षित प्रायोजना लागत के प्रस्ताव पर विचार नही किया जायेगा ।

(6) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यो के द्विरावृति को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना / कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो वर्ममान में किसी अन्य योजना/ कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7) मूल लागत के सापेक्ष स्वीकृत होने वाली धनराशि को आवश्यकतानुसार कोषागार से आहरति कर व्यय कराया जायेगा।

(8) मूल लागत के सापेक्ष स्वीकृत होने वाली धनराशि प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 जल निगम लखनऊ तथा सचिव/विशेष कार्याधिकारी, नगर विकास विभाग के प्रतिहस्ताक्षरयुक्त बिल प्रस्तुत करके कोषागार/ भारतीय स्टेट बैक से आहरित कर व्यय की जायेगी।

(9) स्वीकृत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैक/ डाकघर/ पीएलए/डिपाजित खाते में नहीं रखी जायेगी ।

(10) योजनान्तर्गत अनुमोदित कार्यो की पूर्व, वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

(11) स्वीकृत धनराशि का 75 प्रतिशत उपभोग करने तथा भौतिक प्रगति एवं कार्यो की गुणवत्ता की पुष्टि किये जाने पर अगली किश्त अवमुक्त की जा सकेगी ।

(12) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्त पुस्तिका के सुसंगत प्रावधानों/समय - समय पर निर्गत शासनादेशो के अनुरूप किया जायेगा।

(13) प्रश्नगत धनराशि जिस कार्य मद में स्वीकृत की जा रही है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य/मद मे किया जाय। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जाय।

(14) कार्यो की द्विरावृति /पुनरावृति न हो इसकी पुष्टि कर ली जाय।

(15) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणो/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित किया जाय ।

(16) प्रायोजनान्तर्गत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं निर्माण कार्यो की प्रगति के सतत अनुश्रवण हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया जाय तथा इस समिति द्वारा किये गये अनुश्रवण एवं संस्तुतियों सहित फीडबैक की प्रति व्यय वित्त समिति से उपयोगार्थ प्रभाग को भी उपलब्ध कराया जाये।

2- वित्त विभाग द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तो का अनुपालन विभागों/उपक्रमों में तैनात वित्त नियंत्रक/मुख्य/वरिष्ठ/लेखाधिकारी अथवा सहायक लेखाधिकारी, जैसी भी स्थिति हो सुनिश्चित करेगे। यदि निर्धारित शर्तो में किसी प्रकार का विचलन हो तो संबंधित वित्त नियंत्रक इत्यादि का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले की सूचना पूर्ण विवरण सहित नगर विकास विभाग तथा वित्त विभाग को दे दी जाय।

3- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-2016 के आय- व्ययक के अनुदान संख्या-37 के अन्तर्गत आयोजनागत लेखाशीर्षक "2215-जल पूर्ति तथा सफाई-01-जलपूर्ति-101-शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम-07-फिरोजाबाद में पेयजल हेतु व्यवस्था-35-पूँजीगत परिसम्पतियों के सृजन हेतु अनुदान" के नाम डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे है।

भवदीय

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

संख्या-03 /2016-47/नौ-5-16-169बजट/2014

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, (वर्क्स लेखा अनुभाग), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- जिलाधिकारी, लखनऊ/फिरोजाबाद ।
3- कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट कोषागार, लखनऊ।
4- निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5- नगर आयुक्त, नगर निगम, फिरोजाबाद ।
7- मुख्य अभियंता (आगरा0क्षे0), उ0प्र0 जल निगम, आगरा ।
9- अधीक्षण अभियंता, दशम मण्डल, उ0प्र0 जल निगम, आगरा।
10- अधिशासी अभियंता, अस्थायी निर्माण खण्ड, उ0प्र0 जल निगम फिरोजाबाद।
11- वित्त (ई-8) अनुभाग/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2 एवं नियोजन अनुभाग- 3/4
12- गार्ड फाइल/ कम्प्यूटर सेल।

आज्ञा से,

(रंग बहादुर सिंह)
उप सचिव ।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2015-2016

आवंटन दिनांक-08/01/2016

प्रेषण संख्या:- 03

आवंटन आदेश संख्या:- 001-03-2016-47-9-5-16-169B-2014

अनुदान संख्या:- 37 नगर विकास विभाग(वित्तीय वर्ष 2015-2016 का आवंटन)

लेखाशीर्षक:- 2215 - जल पूर्ति तथा सफाई(आयोजनागत-मतदेय)

01 - जलपूर्ति

101 - शहरी जलपूर्ति कार्यक्रम

07 - फिरोजाबाद में पेयजल हेतु व्यवस्था

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		35-पूँजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान	योग
1	लखनऊ कलेक्ट्रेट -6015-- , --01--	वर्तमान प्रगामी	750000000 1094970000	750000000 1094970000
	योग	वर्तमान प्रगामी	750000000 1094970000	750000000 1094970000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया पचहत्तर करोड़

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया एक अरब नौ करोड़ उनचास लाख सत्तर हजार

(उमा शंकर सिंह)

विशेष कार्याधिकारी